चंबल नदी के राजस्थान में बने बांध लबालब, कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी संभव

कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से लगातार पानी की आवक होने पर निकासी की जाएगी

कोटा, (निसं)। चंबल नदी के राजस्थान में बने तीनों बांध में इस बार लबालब पानी है। ऐसे में इनका कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से लगातार पानी की आवक होने पर निकासी की जाएगी। इसी के चलते

- **कोटा बैराज से दो गेट खोलकर 6500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसमें एक गेट 3 फीट और दूसरा 5 फीट खोला गया है**

राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध से मशीन डिस्चार्ज किया जा रहा है। बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है। साथ ही कोटा बैराज से गेट डिस्चार्ज भी शुरू कर दिया गया है। इन तीनों डैम के गेट खुलेंगे तो पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके बाद चंबल नदी कोटा से लेकर धौलपुर तक अलर्ट मोड पर रहेगी। इस बार यह तीनों डैम 96.69 फीसदी फुल हैं। इन तीनों की पूरी कैपेसिटी 3084.03 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि इनमें वर्तमान में पानी 2982.23 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

राणा प्रताप सागर बांध के सहायक अभियंता हरीश तिवाड़ी का कहना है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर बांध का लेवल कम किया गया था। इसके चलते वहां से पानी डिस्चार्ज गर्मी के सीजन में हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध उस समय खाली था। ऐसे में राणा प्रताप सागर बांध से पानी छोड़ने की जगह उसे स्टोर कर लिया गया। राणा प्रताप सागर बांध का लेवल बढ़ गया है। साल 2024 में 20 जून के दिन वहां पर फुल कैपेसिटी 2904.85 की एवज में 1982.86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था। यह बीते साल करीब 68 फीसदी बारिश के सीजन की शुरुआत में भरा हुआ था। जबकि इस साल 2025 में यह 97 फीसदी भरा हुआ है। वर्तमान में इसमें 2819.63 एमसीएम पानी है। इसी दिन गेट से पानी डिस्चार्ज पहली बार पिछले साल हुआ था। जबकि इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। राणा प्रताप सागर बांध में 85 एमसीएम पानी आने के बाद यह फूल हो जाएगा। ऐसे में इस बार पूरी उम्मीद है कि जून महीने में ही डैम से पानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जबकि मशीन डिस्चार्ज शुरू हो गया है।

सहायक अभियंता हरीश तिवाड़ी के मुताबिक राणा प्रताप सागर बांध में ज्यादातर पानी की आवक गांधी सागर बांध के पानी छोड़ने से होती है। इस बार गांधी सागर बांध बीते साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा खाली है। बीते साल वहां कैपेसिटी 7164.94 एमसीएम की तुलना में 58 फीसदी यानी 4173.85 एमसीएम पानी था। इस बार यह पानी महज 46.87 फीसदी यानी 3358.25 है। ऐसे में गांधी सागर बांध को भरने में काफी ज्यादा समय लगेगा लेकिन आरपीएस डैम के कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश के पानी को तुरंत निकालना पड़ेगा। जवाहर सागर बांध के केसमेंट एरिया में ब्राह्मणी नदी का भी पानी आता है। यह शुरुआत में हजारों क्यूसेक होता है और बाद में बढ़कर लाख क्यूसेक ऊपर भी चला जाता है। ऐसे में लगातार निकासी भी होगी।

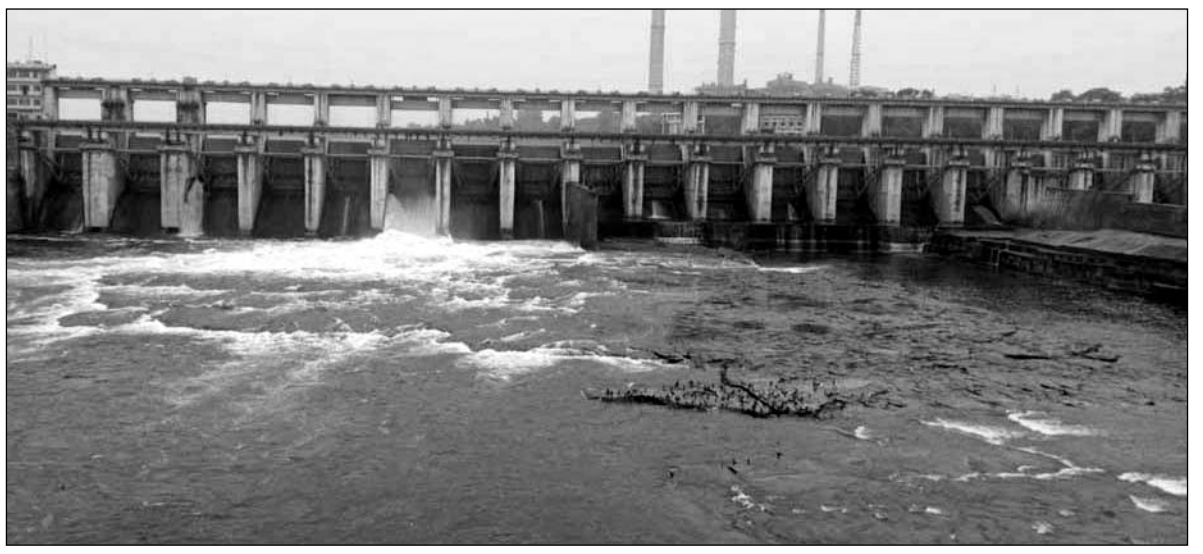

कोटा बैराज से दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

कोटा बैराज की कुल क्षमता 112 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास ही है। जबकि जवाहर सागर डैम की क्षमता 67.12 एमसीएम है। जबकि राणा प्रताप सागर बांध इन दोनों डैम की क्षमता से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में राणा प्रताप सागर बांध से पानी की निकासी होने पर इन दोनों डैम से तत्काल निकासी की जाती है क्योंकि इनमें पानी को स्टोर ज्यादा नहीं किया जा सकता है।

कोटा बैराज से छोड़ा पानी : सहायक अभियंता निकिता पारेता ने बताया कि बारिश के सीजन को देखते हुए फ्लड सेल जल संसाधन विभाग ने चालू कर दी है। इसके जरिए हर घंटे डैम और उनके पानी की आवक व डिस्चार्ज की रिपोर्ट ली जा रही है। इसे 24 घंटे जिला कलेक्टर और जयपुर मुख्यालय को अपडेट भी कराया जाता है ताकि पानी डिस्चार्ज होने पर नीचे अलर्ट जारी हो सकें। राणा प्रताप सागर बांध में 12167 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। मशीन के जरिए 1790 क्यूसेक डिस्चार्ज किया जा रहा है। जबकि जवाहर सागर बांध से 3800 क्यूसेक पानी आ रहा है जिसमें ब्राह्मणी नदी का पानी भी है। यहां से मशीन डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह से कोटा बैराज से दो गेट खोलकर 6500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जिसमें एक गेट 3 फीट और दूसरा 5 फीट खोला गया है।

सरकारी कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव मिला

- **प्रथमदृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया हो**
- **मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, पुलिस ने जांच शुरु की**

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में बीती शाम एक सरकारी कर्मचारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पेड़ के नीचे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 49 वर्षीय विष्णु पारीक पुत्र सत्यनारायण पारीक, निवासी रायपुर के रूप में हुई है। वे वर्तमान में भीलवाड़ा में राजकीय सेवा में कार्यरत थे।

सूत्रों के अनुसार, गुरुवार सुबह विष्णु पारीक अपनी स्कूटी लेकर कार्यालय के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटे, तो परिजन चिंतित हो उठे। इसी दौरान हरिपुरा-भगवानपुरा मार्ग पर राहगीरों की नजर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मांडल उपजिला चिकित्सालय में सूचना दी, जहां विष्णु पारीक को लाया गया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। परिजनों को भी सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंच गए।

मृतक के चेहरे पर विशेष रूप से आंखों के नीचे नीले निशान और मुंह से खून निकलने के लक्षण देखे गए हैं, जिससे प्रथमदृष्टया आशंका जताई जा रही है कि विष्णु पारीक ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया हो। हालांकि, मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, इस घटना से इलाके में शोक और भय का माहौल है। लोगों में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि आखिर विष्णु पारीक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। परिजन भी स्तब्ध हैं और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मांडल थाना प्रभारी विक्रम सिंह शेरावत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना से जुड़े कोई सुराग मिल सके। राजकीय कर्मचारी विष्णु पारीक की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह मामला आत्महत्या का है, दुर्घटना का या किसी साजिश का। उनकी मौत से परिवार और समाज में शोक की लहर है।

कार्यालय नगरपरिषद, जालोर (राजस्थान)

क्रमांक : नपजा/स्टोर/2025/ई-निविदा/1794 दिनाक :- 12.06.2025

:: ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-26 ::

नगरपरिषद, जालोर क्षैत्र में **Maintenance Of Led Street Lights And Road Light Lines In Municipal Coucil (Ulb) Area (Including Material &Amp Manpower/Labour)** कार्य के लिए माल एवं सेवाओं के उपापन के लिए दर संविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.03.2026) के लिए कार्य दर (रेट कोन्टेक्ट) हेतु विभिन्न फर्मो, ठेकेदारों, अधिकृत डिलरों से एतद्द्वारा मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है-

NIB CODE :- DLB2526A2387

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

राज.संवाद/सी/25/4527

टेम्पो ट्रक से 1183 किलो घी व वेज फेट जब्त

- **पाली जिले के विभिन्न गांवों में दुकान व प्रतिष्ठानों पर विक्रय हेतु जा रहा था घी**
- **खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज बारिश के बावजूद देर रात 12 बजे तक कार्रवाई की**

पाली, (नि.सं.)। जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुये आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण एच गुईटे के दिशा निर्देश पर पाली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास मारवाल व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मिलावटी घी की सूचना पर देर रात को दबिश देकर नेशनल हाइवे-14 पर जाडन के समीप टेम्पो ट्रक से 1183 किलो घी व वेज फेट जब्त किया गया।

सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज गती से चल रहे टेम्पो ट्रक का पीछा कर उसे जाडन पेट्रोल पम्प पर रूकवाया गया, जिसकी जांच करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा को बिना बिल के विक्रय होने जा रहे घी का मिलावटी होने का संदेह हुआ जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आर्दश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाडन पर टेम्पो ट्रक में भरे माल को खाली करवाया गया। एफएसओ द्वारा टेम्पो ट्रक के चालक शक्ति सिंह रावत से पूछतात करने पर बताया कि श्री श्याम फुड प्रोडेक्ट अजमेर के निर्माण एवं उत्पादक इकाई से घी व वेज फेट टेम्पो ट्रक में भरवाया गया, जो पाली जिले के विभिन्न गावों में दुकान व प्रतिष्ठानों पर विक्रय हेतु जा रहा था। मामले को गम्भीरता से लेते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी व सीएमएचओ ने जब्त सभी खाद्य पदार्थ को सीज कर उनके सेम्पल लिये। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ फुड सैफ्टी टैक्निशियन खुशाल चन्द सैन, ऑपरेटर ओम प्रकाश प्रजापत, लक्ष्मणदान चारण उपस्थित रहे।

डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावट के रोकथाम पर कार्रवाई करते हुये टेम्पो ट्रक से 6 ब्रांड के घी व वेज फेट जब्त किये इनमे घी ब्रांड सरल, नमस्ते कृष्णा, श्री राजंवशी सुपर सारथी घी, सरल के 15 किलो टीन व वेज फेट डेयरी सरस रिफायड पॉम ऑयल सारस कुंकीग मीडियम ऑयल सहित आधा लीटर एक लीटर व पांच लीटर घी की सामग्री को सीज किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधीकरण द्वारा बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 कानून के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट का संदेह होने होने पर अजमेर के सराधना स्थित श्री श्याम फूड प्रोडेक्टस निर्माण एवं उत्पादक इकाई द्वारा बाजार में विक्रय के लिए जाने वाले घी पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज बारीश के बावजूद देर रात 12 बजे तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

तकनीकी समस्या के चलते मुंबई से जोधपुर आने वाली फ्लाइट रद्द

एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 645 को तकनीकी समस्या के चलते रद्द करना पड़ा

- **यात्रियों ने एयर इंडिया की ओर से समुचित जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने की शिकायत एयरपोर्ट प्रशासन और एयर इंडिया अधिकारी से की, रिफंड जल्द उपलब्ध कराने की मांग की, यात्रियों ने नाराजगी जताई**

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर आने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार की सुबह निराशाजनक रही, जब एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 645 को तकनीकी समस्या के चलते रद्द करना पड़ा। यह फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 9.15 बजे उड़ान भरने वाली थी और इसे जोधपुर में सुबह 11.05 बजे लैंड करना था लेकिन उड़ान से कुछ देर पहले ही एयरलाइंस को विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयर इंडिया प्रबंधन ने तत्काल उड़ान रद्द करने का निर्णय लिया।

इस फैसले के बाद यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर उन्हें जिनको जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करनी थी। फ्लाइट के रद्द होने की जानकारी यात्रियों को अंतिम समय में मोबाइल मैसेज के माध्यम से दी गई, जिससे कई यात्री असमंजस की स्थिति में आ गए। कुछ यात्री पहले से एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्हें वैकल्पिक उड़ान की तलाश करनी पड़ी या फिर अन्य माध्यमों से यात्रा के लिए रवाना हुए।

यात्रियों ने एयर इंडिया की ओर से समुचित जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने की शिकायत एयरपोर्ट प्रशासन और एयर इंडिया अधिकारी से की।

यात्रियों ने एयर इंडिया से वैकल्पिक उड़ान की सुविधा या पूरा रिफंड जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें न तो काउंटर पर सही जानकारी मिल पाई और न ही हेल्पलाइन से कोई संतोषजनक जवाब मिला। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-चित्तौडगढ

क्रमांक-टी.एस./2025-26/डी-632 दिनांक-07.06.2025

NOTICE INVITING BID - 11/2025-26

Bids for Construction of Atal Pragati Path Satpura Road to Retuliya Chowk (Ghosunda) in Division Chittorgarh Procurement are invited from interested Bidders upto 6.00 PM of 23.06.2025 Other particulars of the Bid may be visited on the Procurement Portal (http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in) of the state website. The approximate value of the Procurement in Rs. 15797033.00

NIB CODE-PWD2526A1182
UBN No.-PWD2526WSOB04031

Executive Engineer
PWD Dn. Chittorgarh

DIPR/C/7858/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा

क्रमांक : 420 दिनांक : 9-6-2025

निविदा सूचना संख्याः 08/2025-26 खण्ड मालपुरा

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सडक/ भवन निर्माण हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" एवं "एए", "बी", "सी", "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेवसाईट साईट www.dipronline.org व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB code	PWD2526A1187	6	PWD2526WSRC04064
1	PWD2526WLOB04051	7	PWD2526WSRC04065
2	PWD2526WSOB04053	8	PWD2526WSRC04066
3	PWD2526WSOB04057	9	PWD2526WSRC04067
4	PWD2526WSRC04062	10	PWD2526WSRC04068
5	PWD2526WSRC04063	11	PWD2526WSRC04069

DIPR/C/7797/2025 अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड मालपुरा

ENGINEERING COLLEGE BHARATPUR HOSTEL
(A Constituent College of Rajasthan Technical University, Kota)
Village-Shyorana, Near Sewar & National Highway-11, Bharatpur

क्रमांक : GECBH/HOSTEL/2025-26/11 दिनांक : 19.06.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर के छात्रावासों में मैस संचालन मय खाद्य सामग्री हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय की बेवसाइट www.ecbharatpur.ac.in एवं कार्यदिवस पर महाविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

-प्राचार्य

आयोजना एवं परिवेक्षण निदेशालय
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

क्रमांक-डीपीएम/सीसी/मप्रकृप्रौविवि/निविदा-01/2025-26/6095 दिनांक : 20.06.2025

ई-निविदा सूचना-01 (2025-26)

माननीय कुलपति महोदय, म.प्र.कृ.प्रौ.वि.वि. उदयपुर की ओर से कलर प्रिन्टिंग कार्य करने हेतु (अनुमानित लागत रू. 20 लाख), मुहरबन्द निविदाएँ आंमत्रित की जाती है। समस्त शर्ते एवं विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov. in, www.sppp.rajasthan.gov.in व www.mpuat.ac.in पर देखा जा सकता हैं।

UBN No. ATU2526SLRC00109 निदेशक, आयोजना एवं परिवेक्षण निदेशालय

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli

No. 742 Date: 13-06-2025

NOTICE INVITING BID
NIB No 14/2025-26

Bids for Gabian stracture work Project PMKSY2.0 Block - Mandrail of estimated value INR 224.17 Lacs [01 Package] are invited from interested bidders up to 06.00 PM, 23-06-2025, Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in/) of the state, departmental website.

NIB CODE:- WSC2526A0304
UBN NO- WSC2526WSRC00504

Superitending Engineer
and Project Manger
WCDC Zila Parishad Karauli

DIPR/C/8227/2025

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद जालोर

क्रमांक-एफ( )/निविदा/2025-26/628 दिनांक-11.06.2025

NOTCE INVITING BID NIT NO 05/2025-26

Bids for NRM Works Under PMKSY 2.0 project area in Ahore of estimated Value INR 27.99 Lacs are invited from interested bidders Up to 3.00 PM 24-06-2025, Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https//eproc.rajasthan.gov.in or https://Sppp. rajasthan.gov.in) of the state.

NIT NO.	Work Name & Block	NIB NO.	UBN NO.
NIT-05/ 2025-26	Open Air Gym, Tine shed & Stage in play Ground and balvatika (Ahore)	WSC2526 A0287	WSC2526 WSRC00483

(Laxman Singh Sandu) SE &
PMWCDC, ZILA PARISHAD JALORE
DDO CODE NO. 28606

DIPR/C/8207/2025

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli

No. 739 Date: 12-06-2025

NOTICE INVITING BID
NIB No 13/2025-26

Bids for Talab, talai, Periferal band work Project PMKSY2.0 Block - Mandrail of estimated value INR 68.50 Lacs [01 Package) are invited from interested bidders up to 06.00 PM, 22-06-2025, Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in or https://sppp.rajasthan.gov.in/) of the state, departmental website.

NIB CODE:- WSC 2526 A0294
UBN NO- WSC, 2526 WSRC00491

Superitending Engineer
and Project Manger
WCDC Zila Parishad Karauli

DIPR/C/8123/2025

इंग्लिश मीडियम स्कूलों को 10 महीने बाद भी शिक्षक नहीं मिले

- **आक्रोशित शिक्षकों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विरोध प्रदर्शन किया**

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन हो गया है। पिछले साल 25 अगस्त को हुई परीक्षा में सिलेक्ट हुए शिक्षकों को अभी तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिली है। पदस्थापन में विलंब से शिक्षकों में नाराजगी है।

आक्रोशित शिक्षकों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद के नेतृत्व में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन करके स्टाफ ऑफिसर डॉ. अशोक कुमार शर्मा, उप निदेशक (प्रशासन) वीणा सोलंकी को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जल्द पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने, शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए स्थाई तबादला नीति बनाने, तीन सत्रों की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की बकाया पदोन्नति व अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की बकाया सभी सत्रों पदोन्नति अतिशीघ्र करवाने व समग्र शिक्षा के कार्यालय के 1382 पदों के लिए इंटरव्यू का परिणाम जल्द जारी करने से संबंधित मांग शामिल हैं। उधर, शिक्षक संघ रेसला के प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी गोदारा के नेतृत्व में भी शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर विरोध प्रदर्शन कर अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों में चयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द पोस्टिंग देने की मांग की। वार्ता में सहमति नहीं बनने पर शिक्षक संघ रेसला ने शिक्षा निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना लगाने का निर्णय लिया है।

जोधपुर में डॉक्टर्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार

जोधपुर, (कासं)। डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के फार्मेसी विभाग के रेजिडेंट डॉ. राकेश विश्नोई के 13 जून को सेल्फाश खाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सातवें दिन शुक्रवार को भी नहीं सुलझ पाया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही अब जोधपुर में डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य का बहिष्कार आज से कर दिया। मामले में अभी तक डॉ. एसएन. मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से जोधपुर में रेजिडेंट डाक्टर्स भी हड़ताल पर उतर गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष हीरालाल और महासचिव रंजीत चौधरी आपात स्थिति में सेवाएं दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. राकेश विश्नोई के आत्महत्या प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर जोधपुर रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसियेशन जोधपुर से जुड़े करीब पांच छह सौ डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए हैं।

रिश्वत मांगने के मामले में मोकलसर सरपंच निलंबित

- **एबीसी ने 10 हजार की रिश्वत लेते ट्रेप किया था**
- **निलंबन अवधि के दौरान किसी भी पंचायत कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेगा सरपंच**

सूरतगढ़, (निसं)। उपखंड की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशाराम गोदारा को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत की गई है। निलंबन आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह ने जारी किया।

मामले की शिकायत मोकलसर के वार्ड नंबर पांच के निवासी गणेशाराम कुम्हार ने दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि सरपंच गणेशाराम गोदारा ने उनके पिता गोविंदराम कुम्हार से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के लिए 12,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के अनुसार 24 मई 2025 को सरपंच ने 10,000 नकद ले लिए थे। इस मामले को एसीबी ने गंभीरता से लिया और सरपंच को कर्तव्यों में लापरवाही और अपकीर्तिकर आचरण का दोषी पाया। जिसके बाद उसे रंगे हाथ ट्रेप करने के लिए जाल बिछाया गया और कार्रवाई को अंजाम देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। निलंबन के बाद सरपंच को आरोप पत्र जारी किया गया है और वे निलंबन अवधि के दौरान किसी भी पंचायत कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे।

एसीबी की हनुमानगढ़ और बीकानेर की टीमों ने 24 मई को बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशाराम गोदारा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

एसीबी के महानिदेशक के मुताबिक एबीसी हनुमानगढ़ चौकी को शिकायत मिली थी कि मोकलसर सरपंच गणेशाराम गोदारा पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवादी के पिता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाने के बदले 12,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सरपंच गणेशाराम को 10,000 रुपए रिश्वत लेते मौके पर गिरफ्तार किया था।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-F.32(B) (Model Shop)EX/L/2025-26-05066/170 दिनांकः 18.06.2025

मॉडल शॉप्स (Model Shops) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प.4 (1) वित्त/आब/2025 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 के प्रावधानानुसार मॉडल शॉप्स की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	07-07-2025	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रकियानुसार दिनांक 20.06.2025 प्रातः 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर ""Citizen"" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रू. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।
4. राज्य में शहरीय क्षेत्र जयपुर शहर में 05, जोधपुर में 02, उदयपुर में 02, माउन्ट आबू व आबूरोड एवं अन्य शहरों में एक-एक मॉडल शॉप आवंटित की जायेगी।
5. मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राईस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउन्ट आबू तथा आबूरोड के लिये राशि रूपये 1 करोड प्रति मॉडल शॉप तथा अन्य शहरों के लिये राशि रूपये 50 लाख प्रति मॉडल शॉप निर्धारित है।
6. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
7. ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रति मॉडल शॉप का आवेदन शुल्क रूपये 50,000/- निर्धारित है, जो की अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।
8. मॉडल शॉप्स का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
9. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मॉडल शॉप का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेंगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
10. प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी
11. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करानी होगी।
12. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, स्वीकृत वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि खारिज की जायेगी।
13. वर्ष 2025-26 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष क्रमशः 2026-27, 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
14. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29, समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
15. मॉडल शॉप के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्